<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,</u>
<u>बगहा, प0 चम्पारण।</u>

<u>Complaint Case No.- 38/2023</u>
<u>C.I.S. No.-38/2023</u>

<u>गीता देवी, पति– उमेश राव, निवासी– ग्राम– विशम्भरपुर, थाना–भैरोगंज, जिला–पश्चिम चम्पारण।</u>

.....परिवादिनी

<u>बनाम</u>

1. रामसागर दास, पिता– स्व. महंथ दास,
2. अमरेश दास, पिता– स्व. संत दास,
3. बलिराम दास, पिता– स्व. संत दास,
4. मुन्ना दास, पिता– बलिराम दास,

सभी निवासी– ग्राम– विशम्भरपुर, थाना–भैरोगंज, जिला–पश्चिम चम्पारण।

.....अभियुक्तगण

परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता– विद्वान श्री रमेश कुमार पाण्डेय
अभियुक्त संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता– विद्वान श्री ब्रजेश भारती
अभियुक्त संख्या 2,3 एवं 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता– विद्वान श्री कमाल अख्तर

<u>10.08.2026</u>

परिवादिनी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। अभियुक्त रामसागर दास, मुन्ना दास, अमरेश दास की हाजरी है तथा अभियुक्त बलिराम दास का प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया। बार बार पुकार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा निवेदन करते हैं कि परिवादिनी को आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु काफी अवसर दिया जा चुका है परन्तु परिवादिनी के द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य आरोप पूर्व कार्यवाही के अनुक्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाए।

बार बार पुकार पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार पाण्डेय उपस्थित हुए। मौखिक रुप से न्यायालय से निवेदन करते हैं कि परिवादनी से काफी दिनों से सम्पर्क नहीं है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 18.05.2024 के आदेश से अंतर्गत धारा– 323, 341, 354बी, 427, 448, 504, 506/34 भारतीय दण्ड विधान के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अभियुक्त रामसागर दास, अमरेश दास, बलिराम दास एवं मुन्ना दास के विरुद्ध आदेशिका निर्गत किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण की उपस्थिति के बाद दिनांक 25.02.2025 के आदेश से अभिलेख की कार्यवाही आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु निर्धारित की गई। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि परिवादनी प्रस्तुत मामले में दिनांक 25.11.2024 से लगातार अनुपस्थित चली आ रही है।

<u>लगातार</u>

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

Complaint Case No.- 38/2023
C.I.S. No.-38/2023

लगातार
10.08.2026 परिवादिनी को आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया परन्तु परिवादिनी के द्वारा आरोप पूर्व साक्ष्य के अनुक्रम में किसी प्रकार का दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादिनी को आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनिश्चितकालीन समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। परिणामतः परिवादनी के आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर को समाप्त किया जाता है।

जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि आरोप पूर्व साक्ष्य के अनुक्रम में परिवादिनी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामतः अभियुक्तगण रामसागर दास, मुन्ना दास, अमरेश दास एवं बलिराम दास के उपर लगे आरोप अंतर्गत धारा 323,341,354बी,427,448,504,506/34 भारतीय दण्ड विधान निराधार है। अतः अभियुक्तगण रामसागर दास, मुन्ना दास, अमरेश दास एवं बलिराम दास को उसके उपर लगे आरोप अंतर्गत धारा 323, 341, 354बी, 427, 448, 504, 506/34 भारतीय दण्ड विधान से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण को जमानत के दायित्वों से तथा उसके प्रतिभूओं को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

आदेशित
Sd/-
अविनाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

आदेश की तिथि	10.08.2023
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
आदेश अपलोड करने की तिथि	11.08.2026
अपलोड करने वाला	कोर्ट रीडर–कम–डिपोजिशन राईटर